राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

प.1(3)RSSB / संस्था / पदों का सृजन / 2023 / 885 दिनांक 07-08-24

विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.01.2014 के अनुसार किया गया है। कार्मिक विभाग की सहमति पत्र क्रमांक प.8(22) कार्मिक / क–2 / 2008–17815 दिनांक 03.07.2024 के अनुसरण में राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी / कार्मिकों के अलावा अन्य राजकीय विभागों मे समकक्ष पदों पर कार्यरत इच्छुक अधिकारी / कार्मिक तथा सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	पद का नाम	पे–लेवल	संख्या	विवरण (Source of recruitment)
1.	विशेषाधिकारी RAS (सुपर टाईम स्केल)	L-19	01	प्रतिनियुक्ति
2.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	L-16	01	प्रतिनियुक्ति
3.	प्रोग्रामर	L-12	03	प्रतिनियुक्ति
4.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	L-12	01	प्रतिनियुक्ति
5.	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	01	प्रतिनियुक्ति
6.	निजी सहायक (स्टेनों)	L-10	01	प्रतिनियुक्ति
7.	सूचना सहायक	L-08	15	प्रतिनियुक्ति
8.	लिपिक ग्रेड प्रथम	L-08	06	प्रतिनियुक्ति
9.	लिपिक ग्रेड द्वितीय	L-05	09	प्रतिनियुक्ति

बोर्ड में रिक्त पदों के विरूद्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी अपना आवेदन सीधे ही बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अन्य विभागों से आने वाले सेवारत अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होगें:–

1. कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 8(22)कार्मिक / क–2 / 2008 पार्ट–1 दिनांक 11.05.2015 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं शासन सचिवालय, जयपुर के राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी / कार्मिकों को अपने पैतृक विभाग के अनुसार विशेष वेतन देय होगा।
2. अन्य राजकीय विभागों से आने वाले कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रतिनियुक्ति भत्ता, विशेष भत्ता एवं अन्य सुविधाऐं बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि में देय नहीं होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा, जो सर्वमान्य होगा।
4. प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त किए जाने के लिए बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा।

(डॉ.बी.सी.बधाल)
सचिव

RajKaj Ref
9575465

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.08.07 13:49:02 IST
Reason: Approved